क्रमांक 720-5 जी0 एस0 -70/7100

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा के सभी जिला सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 2-4-1971

विषय :- निलम्बित कर्मचारियों को पंजाब सी: एस: आर: वाल्यूम 1 पार्ट 1 के नियम 7.3 के अधीन समय तथा वेतन का निर्णय करना ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाने और यह कहने का आदेश हुआ है कि निलम्दित कर्मचारियों को बहाल करते समय पंजाब सी: एस: आर: वाल्यूम 1 पार्ट 1 के नियम 7.3 के अधीन निम्नलिखित बातों पर आदेश जारी करने आवश्यक हैं :-

(क) क्या वेतन तथा भत्ता निलम्बित समय के दौरान कर्मचारी को मिलेगा और यह किस हिसाब से दिया जाएगा ।

(ख) क्या निलम्बन का समय डियुटी समझा जावेगा अथवा नहीं ।

2. उपर्युक्त विषय पर निर्णय सक्ष दण्डीय प्राधिकारी (competent punishing authority) ने करना होता है ।

3. उपरोक्त नियम के तहत निलम्बन के समय में वेतन तथा भत्ते में कटौती करने के लिये तथा निलम्बन के समय को किसी purpose के लिये डियुटी न मानने के लिये अपनाये जाने वाली कार्यविधि पर सरकार ने कानूनी दृष्टि से विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि किसी कर्मचारी के निलम्बन समय के दौरान वेतन तथा भत्ते में कटौती करने अथवा निलम्बन के समय को किसी purpose के लिये डियुटी न मानने का आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी को "कारण बताओ नोटिस" अवश्य दिया जाना चाहिए। उस नोटिस में प्रस्तावित कार्यवाही का वर्णन किया जाये ताकि कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण दे सके। उस स्पष्टीकरण का निरीक्षण करने के बाद ही इन मामलों पर अन्तिम आदेश जारी किये जायें । इस कार्यविधि का दृढ़ता से अनुपालन किया जाये ।

4. इस पत्र की पावती भेजने का अनुरोध किया जाता है ।

भवदीय,

हस्ता/:

उप सचिव राजनैतिक सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित कीसेवा में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

सभी वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

आशा0 क्रमांक 720-5 जी0 एस0 -70, दिनांक चण्डीगढ़ 2-4-1971